ORDER SHEET [Contd] विशेष विद्युत प्र0क095/16.....

Date of Order or Proceeding with Signature of presiding 22.4.18 7. अहाजता हो अदालत दिनांक 22.04.2018 परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/किनष्ट यंत्री श्री अजय उमाले सहित श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0। अभियुक्त उपस्थित नहीं। प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अभियुक्त के विरुत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अभियुक्त के विरुत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहित एक आवेदन पत्र परे चारा 138(1)ख विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहित एक आवेदन पत्र प्रथम अपराध है एवं अभियुक्त के द्वारा है । अतर्पत लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद आगे नहीं चलाना चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे। पुना गया। प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रसत्तुत आवेदन उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर इस नेशानल लोक अदालत में अभियुक्त के विरुद्ध जमानती/गिरफ्तारी वारट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये। आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण में जप्तशुद्धा सम्पत्ति नहीं है। आदेश की प्रति उभयमक्ष को निःशुक्क प्रदाय हो। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (सुनील कांकर एड.) (धमेन्द्र कुमार पांडे एड.) (सतीश कुमार गुना) पीठासीन अधिकारी खळपी०क0—21 (एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला मिण्ड म030)		19(1) 1990	
परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/किनिष्ट यंत्री श्री अजय उमाले सिहत श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0। अभियुक्त उपस्थित नहीं। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ। प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहत एक आवेदन पत्र स्वेच्छ्या पूर्वक पेश कर निवेदन किया है कि इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम अपराध है एवं अभियुक्त के द्वारा नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत बिल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। अतर्पव लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद आगे नहीं चलाना चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे। सुना गया। प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रस्तुत आवेदन उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर इस नेशनल लोक अदालत में अभियुक्त को धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के आरोप से उन्मोचित/दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये। आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण में जप्तशुद्धा सम्पत्ति नहीं है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को निःशुक्त प्रदाय हो। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (सुनील कांकर एड.) (धमेन्द्र कुमार पांडे एड.) (सतीश कुमार गुप्ता) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी खार्जी10क0–21 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
	22.4.18	परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री श्री अजय उमाले सहित श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0। अभियुक्त उपस्थित नहीं। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ। प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पत्र स्वेच्छया पूर्वक पेश कर निवेदन किया है कि इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम अपराध है एवं अभियुक्त के द्वारा नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत बिल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। अतएव लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद आगे नहीं चलाना चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे। सुना गया। प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रस्तुत आवेदन उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर इस नेशनल लोक अदालत में अभियुक्त को धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के आरोप से उन्मोचित / दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये। आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है। अतेश की प्रति उभयपक्ष को निःशुल्क प्रदाय हो। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (सुनील कांकर एड.) (धमेन्द्र कुमार पांडे एड.) (सतीश कुमार गुप्ता) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी ख0पी0क0—21 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद	